□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख□: 2005
29 □□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□प्रश□ □□ □त्त□

ग्रामीण क्षेत्रों म स्वास्थ्य केन्द्र/जिला अस्पताल

2005. □□□ □□□□□□ □□□ □त्रे□□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों म स्वास्थ्य केन्द्र/जिला अस्पताल स्थापित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया/मानदंड क्या ह;

(ख) ग्रामीण आबादी को आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला अस्पतालों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश म स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला अस्पतालों को कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण ह तथा सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए ह; और

(घ) सरकार द्वारा देश म सस्ती कोमत पर गुणवत्तापूण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए ह/उठाए जा रहे ह और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

□त्त□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्री (श्री □□श्वि□□ □□□□ □□□)□

(क) जनसंख्या संबंधी शत स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापना के लिए ऐसे मापदंड ह जिनके आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों म स्वास्थ्य परिचया संबंधी बुनियादी सुविधाओं को त्रिस्तरीय प्रणाली के तौर पर विकसित किया गया है, जैसाकि नीचे दिया गया है।

केन्द्र	जनसंख्या शत	
	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी/जनजाति/दुगम क्षेत्र
उप-केन्द्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,20,000	80,000

चूंकि देश म जनसंख्या घनत्व समान नहों है, इसलिए सुविधा केन्द्र के मामलों के भार तथा ग्राम/आबादी को दूरी पर भी निभर करते ह जिसम उप-केन्द्र सम्मिलित है। कोई उप-प्रभागीय अस्पताल लगभग 5-6 लाख लोगों को आवश्यकताओं को पूरा करता है। जहां तक जिला अस्पताल का संबंध है प्रत्येक जिले म एक अस्पताल होने को आशा को जाती है।

(ख) से (घ) उप-केन्द्रों, पीएचसी और सीएचसी को संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और इस के साथ-साथ वतमान म मौजूदा अस्पतालों को स्थिति अनुलग्नक के अनुसार किए जाने को आवश्यकता है। जिला अस्पतालों से संबंधित सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहों रखी जाती।

स्वास्थ्य केन्द्रों को तुलना म इनको अपेक्षाओं म कुछ कमी है जो अनुलग्नक-I म भी प्रदर्शित होती है। त्रुटिपूण स्वास्थ्य अवसंरचना के कारणों म से एक कारण स्वास्थ्य क्षेत्र म ऐतिहासिक तौर पर कम निधियन होना है।

चूंकि सावजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है इसलिए वहनीय लागत पर गुणवत्ता परक चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने को प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को होती है। स्वास्थ्य पर्रिचया संबंधी चुनौतियों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों म,को दूर करने के लिए सावजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं म पहुँचने वाले सभी लोगों को सुगम वहनीय और गुणवत्ता परक स्वास्थ्य पर्रिचया उपलबध कराए जाने के लिए राज्य/यूटी सरकारों के प्रयासों के पूरक के तौर पर वष 2005 म राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) को शुरू किया गया था। तत्पश्चात वष 2013 म राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) शुरू किया गया था, इन दोनों को आमेलित करके इस मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) बना दिया गया। एनएचएम के तहत राज्यों के कायक्रम कायान्वयन योजनाओं (पीआईपी) म उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के आधार पर प्रक्रियाओं के रिकॉड के तौर पर अपनी स्वास्थ्य पर्रिचया प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीको और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

एनएचएम के तहत इस सहायता म मातृत्व स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य किशोर स्वास्थ्य, पर्रिवार नियोजन, सावभौमिक टीकाकरण कायक्रम जैसीनि:शुल्क सेवाओं और तर्पेदिक,एचआईवी/एड्स वेक्टर जनित रोग जैसे मलेर्रिया, डगू और काला-अजार, कुष्ठ रोग आदि जैसी प्रमुख बीमार्रियों के लिए प्रावधान सम्मिलित ह।

अन्य प्रमुख कायकलापों म जननी शिशु सुरक्षा कायक्रम (जेएसएसवाई) जिसके तहत नि:शुल्क औषधियां, नि:शुल्क डायाग्नोर्टिक्स, नि:शुल्क रक्त एवं आहार, घर से संस्थान तक तथा रेफरल के मामले म सुविधा केन्द्रों के बीच और घर वापिस छुड़वाने के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कायक्रम (आरबीएसके) (जो नवजात और जीवित रहने को गुणवत्ता म सुधार करने के लिए जन्म दोषों, रोगों कमियों और विकासात्मक विलंबों के लिए नवजातों और बच्चों को नि:शुल्क जांच और शीघ्र निदान सेवाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है, नि:शुल्क औषधियों एवं नि:शुल्क डायग्नोस्टिक्स सेवा पहलों का कायान्वयन, पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस कायक्रम एवं राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन काय ढांचे का कायान्वयन सम्मिलित है।

ग्रामीण क्षेत्रों म विशेष रूप से स्वास्थ्य पर्रिचयों को पहुंच म सुधार करने के लिए एनएचएम को सहायता से मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (एमएमयू) एवं टेलिमेडिसिन को भी कायान्वित किया जाता है।

आयुष्मान भारत के भाग के तौर पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य पर्रिचया के प्रावधान के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) के तौर पर उप-केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करने जिसम निरंतर पर्रिचया के साथ सामुदायिक स्तर पर निवारक एवं स्वास्थ्य संवधन सम्मिलित है के लिए सरकार संबंधित राज्यों को सहायता प्रदान करती है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सामाजिक आर्थिक जाति आधार्रित जनगणना (एसईसीसी) के अनुसार लगभग 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर पर्रिवारों को प्रत्येक वष 5.00 लाख रूपए प्रति पर्रिवार तक का स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध कराती है।

□□□ग□□

भारत म प्रत वष 2011 के अनुसार स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों का आवश्य□□□,□□□ब□□□ □□□ □□□ □ा □स्□ि (31 □□□, 2018 □□)

क्र. □□	□ज□/□□ □ज□ क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र म संपूण □□□ख□□	ग्र□□□ क्षेत्रों □ □□□□□□ □□□ख□□	उप-केन्द्र				□□□□□				□□□□□			
				□□	□□	□□	% □ □□□	□□	□□	□□	% □ □□□	□□	□□	□□	% □ □□□
1	आंध्र प्रदेश	34776389	2293102	7261	7458	*	*	1197	1147	50	4	299	193	106	35
2	□रु□□□ प्र□□	1066358	789846	318	312	6	2	48	143	*	*	12	63	*	*
3	□□□	26807034	3665405	5850	4644	1206	21	954	946	8	1	238	172	66	28
4	ि□□□	92341436	1270851	18637	9949	8688	47	3099	1899	1200	39	774	150	624	81
5	□□□□□□	19607961	7231082	4885	5200	*	*	774	793	*	*	193	169	24	12
6	□□□	551731	87639	122	214	*	*	19	25	*	*	4	4	0	0
7	□□□□	34694609	8021848	8008	9153	*	*	1290	1474	*	*	322	363	*	*
8	□ि□□□□	16509359	0	3301	2589	712	22	550	368	182	33	137	113	24	18
9	ि□□□□ प्र□□	6176050	374392	1285	2084	*	*	212	576	*	*	53	91	*	*
10	□म□□□ □ □श□□	9108060	1406833	2009	2967	*	*	327	637	*	*	81	84	*	*
11	□□□□□	25055073	7868150	6060	3848	2212	37	966	298	668	69	241	171	70	29
12	□□□□□	37469335	3429791	7951	9443	*	*	1306	2359	*	*	326	206	120	37
13	□□□	17471135	433092	3551	5380	*	*	589	849	*	*	147	227	*	*
14	□ध□ प्र□□	52557404	14276874	12415	11192	1223	10	1989	1171	818	41	497	309	188	38
15	□□□□ष्ट्र	61556074	9006077	13512	10638	2874	21	2201	1823	378	17	550	361	189	34
16	□ि□□□	2021640	791126	509	429	80	16	80	91	*	*	20	23	*	*
17	□□□□□	2371439	2136891	759	443	316	42	114	108	6	5	28	28	0	0
18	ि□□□□	525435	507467	172	370	*	*	25	57	*	*	6	9	*	*
19	□□□□□	1407536	1306838	455	396	59	13	68	126	*	*	17	21	*	*
20	□ि□□□	34970562	8994967	8193	6688	1505	18	1315	1288	27	2	328	377	*	*
21	□□□□	17344192	0	3468	2950	518	15	578	432	146	25	144	151	*	*
22	□□□स्□□	51500352	8693123	11459	14405	*	*	1861	2078	*	*	465	588	*	*

23	सिक्किम	456999	167146	113	147	*	*	18	24	*	*	4	2	2	50
24	□f□□□□□□	37229590	660280	7533	8712	*	*	1251	1421	*	*	312	385	*	*
25	□□□□□□	21585313	2939027	4708	4744	*	*	768	643	125	16	192	91	101	53
26	त्रि□□	2712464	1117566	691	1020	*	*	109	108	1	1	27	22	5	19
27	□त्□□□□□	7036954	264819	1442	1847	*	*	238	257	*	*	59	67	*	*
28	उत्तर प्रदेश	155317278	1031076	31200	20521	10679	34	5194	3621	1573	30	1298	822	476	37
29	□□श्□□ □□□□	62183113	4855115	13083	10357	2726	21	2153	913	1240	58	538	348	190	35
30	□□□□□□ f□□□□□□ द्□□□ □□□□	237093	26715	50	123	*	*	8	22	*	*	2	4	*	*
31	□□□□□	28991	0	5	17	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0
32	□□□□□ □□□ □□□ □□□ी	183114	150944	56	71	*	*	8	9	*	*	2	2	0	0
33	□□□ □□□ द्□□□	60396	7617	13	26	*	*	2	4	*	*	0	2	*	*
34	दिल्ली	419042	0	83	12	71	86	13	5	8	62	3	0	3	100
35	□क्षद्□□□	14141	13463	4	14	*	*	0	4	*	*	0	3	*	*
36	□□च्□□ी	395200	0	79	54	25	32	13	24	*	*	3	3	0	0
	□f□□ □□□□□□/ □□□	833748852	93819162	179240	158417	32900	18	29337	25743	6430	22	7322	5624	2188	30

टिप्पणी: □□□□□□ 2011 से ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित नियमों का उपयोग करके अपेक्षाओं का आंकलन किया गया है। संबंधित कुछ राज्यों में मौजूदा अधिशेष को अनदेखा करके सभी संबंधी आंकड़ों को सम्मिलित करके अखिल भारतीय कमी हुई है।

□□: □□क्षि□, □□: □□□ □□: □□□ * □□□□□

.....